17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

CAPITATION FEES

MR. CHAIRMAN : The House will now take up the Half-an-Hour discussion to be raised by Shri Ramvilas Paswan.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, आज की चर्चा का विषय कैपिटेशन फी है। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि यह कैपिटेशन फी के सम्बन्ध में जो शिक्षा मन्त्री जवाब देंगी तो वह तो शिक्षा विभाग के लिए कम्पीटेंट हैं। लेकिन इस कैपिटेशन फी का अधिकांश मामला तो मैडिकल से सम्बन्धित है क्योंकि डेढ़ लाख से 3 लाख रु०, कैपिटेशन फी मेडिकल संस्थाओं में चलती है। अधिकांश मिनिस्ट्री आफ हैल्थ से इसका सम्बन्ध है तो स्वास्थ्य मन्त्रालय से सम्बन्धित विषय पर शिक्षा मन्त्री जी कैसे जवाब देंगी ? दूसरे सदन में पूछा गया था मन्त्री महोदय ने यही जवाब दे कर टाल दिया था कि यह हमारे अख्तियार का मामला नहीं है। मैं इसको नहीं बतला सकती हूं। तो या तो शिक्षा मंत्री जी बतायें कि वह स्वास्थ्य मंत्रालय के सम्बन्ध में भी जवाब देने के लिये सक्षम हैं, तब तो ठीक है। अन्यथा दोनों मंत्रियों को यहां मौजूद रहना चाहिये।

MR. CHAIRMAN : Your Half-an-Hour Discussion has arisen out of the answers given by the Education Minister.

SHRI RAM VILAS PASWAN : But that is regarding the capitation fees relating to the Health Ministry; not the Education Ministry.

MR. CHAIRMAN : Let us see as we proceed.

श्री राम विलास पासवान : वह तो कहती हैं हम तो इसके सम्बन्ध में टच ही नहीं करेंगी।

MR. CHAIRMAN : How do you anticipate it. Let us see it, as the discussion proceeds.

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, यह कैपिटेशन फी का आधार क्या है ? आज तक तो हम लोग मांग करते रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े और हरिजन लोग हैं उनके लिए विशेष अवसर दें आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उसके लिए पूरे देश में खून खराबी की स्थिति आ जाती है यदि 2, 4 परसेंट उसको कहीं मिलने की नौबत आती है तो। लेकिन यह जो अमीरों के लिए विशेष अवसर का सिद्धान्त है, कोई लड़का यदि कोई मेडीकल कालेज बिहार में है तो उसको 5 परसेंट ग्रेस मार्क्स भी देने के लिये तैयार नहीं हैं सरकार, लेकिन अमीर के लड़के का 20, 25 परसेंट डोनेशन के बल पर, चाहे वह कैसा ही हो पढ़ने में, उसका ऐडमीशन हो जाता है। तो यह कैपीटेशन फी अमीरों के लिए विशेष सिद्धान्त है।

मंत्री महोदय ने दूसरे सदन में जो जवाब दिया था उससे 5-6 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि कर्नाटक एवं देश के अन्य भागों के इन्जीनियरिंग और मैडीकल कालेजों में कैपिटेशन फी है। बाद में बताया कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और बिहार में केपिटेशन फी चल रही है। फिर इन्होंने स्वीकार किया कि भारत सरकार इसकी सख्त विरोधी है और यह भी कहा था कि समान अवसर के सिद्धान्त का वायलेशन है। इन्होंने यह भी कहा कि सरकार

[श्री राम विलास पासवान]

को मालूम है कि इन तीनों राज्यों में—कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और बिहार में—भारी राशि ली जाती है। प्रधान मंत्री ने 29 अप्रैल, 1981 को सभी मुख्य मंत्रियों को इसके सम्बन्ध में सख्त पत्र लिखा। फिर जून, 1981 में भी शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री जी ने इस प्रथा की निन्दा की और तुरन्त इस पर कार्यवाही करने हेतु शिक्षा मंत्री के माध्यम से मुख्य मंत्रियों को लिखा गया। जिन राज्यों में यह विद्यालय नहीं चलते हैं उन्होंने तो इनके पत्र का ज़वाब दे दिया लेकिन बिहार, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की तरफ से अभी तक मंत्री महोदया के पास कोई खबर नहीं आई है और धड़ल्ले से यह कैपिटेशन फी चल रही है।

मंत्री महोदय के ही अनुसार इस तरह के जो संस्थान हैं जो कैपिटेशन फी के आधार पर चल रहे हैं उनकी संख्या 56 है। 13 आन्ध्र प्रदेश में, 10 बिहार में और 33 कर्नाटक में। तो इन तीनों राज्यों में खुल्लम खुल्ला कैपिटेशन फी ली जा रही है। अब और बढ़ गई है रकम। और यह सब के सब राज्य ऐसे हैं जहां, जिस पार्टी की सरकार केन्द्र में है, उसी पार्टी की सरकार इन राज्यों में भी चल रही है और यह मामला भी बहुत पुराना है, जब कि प्राइम मिनिस्टर ने 29-4-81 को लिखा। मैं नहीं समझता कि भारत की प्रधान मंत्री अब इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनका चाबुक उनके अपने राज्य के मुख्य मंत्रियों पर भी कारगर नहीं होता है? दो ही चीज हो सकती हैं, एक तो यह कि प्रधान मंत्री की नीयत साफ नहीं है निर्देश में, और दूसरे अगर प्रधान मंत्री की नीयत साफ है तो राज्य के मुख्य मंत्री उस निर्देश की बिल्कुल अवहेलना कर रहे हैं। इसमें एक बात साफ झलकती है, इसमें दो भाग हैं। एक भाग है जैसा कि मैंने कहा कि टेक्नीकल इंजीनियरिंग का मामला है और दूसरा हैल्थ डिपार्टमेंट का मामला है जो कि सबसे ज्यादा गम्भीर है।

मैं बिहार का एक मामला सुनाता हूं जहां कि निजी टैक्नीकल कालेज हैं जो इस तरह के कैपीटेशन फी के आधार पर चल रहे हैं जिनकी संख्या 14 है। उनमें से एक जगन्नाथ मिश्र इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालोजी दरभंगा है जो कि बिहार के मुख्य मंत्री के नाम पर है। दूसरी जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी दरभंगा है। तीसरी संजय गांधी पोलिटैक्नीक इंस्टीट्यूट मधुबनी में है और चौथी फिर संजय गांधी पोलिटैक्नीक इंस्टीट्यूट धनवाद में है। जब इन्होंने यह इंस्टीट्यूट खोल लिये तो वहां एक मंत्री श्री एल० पी० शाही हैं। उन्होंने सोचा कि मैं ही पीछे क्यों रहूँ, उन्होंने भी एल० पी० शाही फारमेसिस्ट कालेज, मुजफ्फरपुर में खोल लिया। यह तो वह कालेज हैं जो इनके नाम पर खुले हुए हैं, इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो वहां 11 मंत्री और हैं जिनके नाम पर कालेज चल रहे हैं। वह लोग उनके संरक्षक बने हुए हैं, पैटर्न बने हुए हैं। उसमें जगन्नाथ मिश्र, रामाश्रय प्रसाद सिंह, राजो सिंह, राजेन्द्र प्रताप सिंह, ललितेश्वर प्रसाद शाही समायलेनवी, रघुनाथ झा, बालेश्वर राम, समी नदवी, श्यामसुन्दर सिंह धीरज, रघुनाथ पांडेय हैं। ये लोग संरक्षक बने हुए हैं इंस्टीट्यूट के।

प्रश्न उठता है मुख्यमंत्रियों के बारे में। मैंने उस दिन कहा था कि जब बिल्ली को आप दही और मछली का रखवाला बना देंगे और कहेंगे कि तुम इसकी रखवाली करो तो वह बिल्ली दही और मछली दोनों को खा जायेगी।

यह लोग जिनको भारत की प्रधान मंत्री और शिक्षा मंत्री रोज लिख रही हैं, कह रही हैं कि भारत सरकार बहुत चिन्तित है, प्रधान मंत्री बहुत चिन्तित हैं, प्रधान मंत्री रोज डांटती रही हैं, प्रधान मंत्री कहती हैं—पैरिट शुड नाट बी इग्नोर्ड, भारत की प्रधान मंत्री कहती हैं कि शिक्षा को व्यवसाय बनाया जा रहा है, लेकिन पता नहीं उनकी इन बातों का मुख्यमंत्रियों पर कोई असर हो रहा है या नहीं ?

यह गुंडूराव जी का प्रदेश है, जहां डेढ़-डेढ़, एक-एक और तीन-तीन लाख रुपया तक चलता है जो कि कैपीटेशन फी के रूप में चलता है। वहां एम० एस० रामैय्या मेडिकल कालेज बंगलौर है, म्युनिसिपल कालेज मनीपाल है, एम० एस० रामैय्या इंजीनियरिंग कालेज बंगलौर है। यहां एमाउन्ट भी 40, 40 हजार और 50, 50 हजार से लेकर 1, 2, 3 लाख तक चलता है। यह धड़ल्ले से चलता है। उसके बाद भी कोई रोक-टोक नहीं है और मंत्री महोदय अपने जवाब में स्वीकार भी करते हैं।

आपने एक तरफ बिहार राज्य में कानून बनाया और बिहार सरकार का आर्डिनेन्स का विज्ञापन होता हो और दूसरी तरफ बिहार के मंत्रियों का विज्ञापन निकलता हो कि यह इंस्टीट्यूट है यहां आप एडमीशन ले लीजिये।

एक तरफ अध्यादेश उसके विरोध में है और दूसरा तरफ विज्ञापन निकलता है तो इस से पता लगता है कि सरकार की नीयत क्या है ?

यहां एक आल इण्डिया मैडिकल इन्स्टीटयूट है और आल इण्डिया टैक्नीकल इन्स्टीट्यूट है। ये क्या कर रही हैं ? क्या इनका कोई दायित्व नहीं है ? जब इनकी बिना परमीशन के और स्वीकृति के न तो कोई कालेज खोला जा सकता है और न वह कार्य कर सकता हैं तो यह सब कैसे खुले और कैसे फंक्शन कर रहे हैं ?

विभिन्न राज्यों के कानून के मुताबिक भी इनमें से कोई कार्य नहीं कर सकता है। खुल गया तो खुल गया, लेकिन न खुल सकता है और न कार्य कर सकता है, फिर यह क्यों चल रहा है ? मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह इस बारे में एक काम्प्रहेंसिव बिल ला रही है। प्रश्न यह है कि वह आर्डीनेंस क्यों नहीं जारी करतीं। सरकार छोटी-मोटी बातों के लिए आर्डिनेंस निकाल देती है। लेकिन कैपिटेशन फीस का इतना बड़ा इस्यू है, जिसके बारे में पूरा देश और भारत के प्रधान मन्त्री चिन्तित हैं, उसको खत्म करने के लिए आर्डिनेंस क्यों नहीं जारी किया गया है ? क्या मन्त्री महोदय का विचार आर्डिनेंस जारी करने का है ?

क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि बिहार में इन संस्थाओं में बोगस रजिस्टर रखे हुए हैं। उच्चाधिकारी निजी तकनीकी संस्थानों के उच्च पदों पर आसीन हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, श्री रूपनारायण झा, जगन्नाथ मिश्र इन्टीट्यूट आफ टैकनालोजी के उच्च पद को सुशोभित कर रहे हैं। एक ओर मुख्य मन्त्री इस तरह के इन्स्टीट्यूशन चला रहे हैं और बड़े-बड़े अफसर उसमें कार्यरत हैं, दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा जाता है कि हम इस व्यवस्था को बहुत बुरा समझते हैं, हम इसको खत्म करेंगे, भारत के प्रधान मन्त्री इसके बारे में चिन्तित हैं। इन बातों से कोई लाभ नहीं होने वाला है।

[श्री राम विलास पासवान]

अगर संविधान के मुताबिक वीकर सेक्शन्ज और गरीब लोगों को दो-चार परसेंट रिजर्वेशन दिया जाता है, तो पूरे देश में बवंडर खड़ा हो जाता है। लेकिन बड़े-बड़े लोगों, पैसे वाले लोगों के लिए यह जो रिजर्वेशन किया गया है, क्या सरकार उसके बारे में चिन्तित है या नहीं ? मैं शिक्षा मन्त्री से दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे आशा है कि वह उनका साफ-साफ जवाब देंगी।

जब कैपिटेशन फीस की परिपाटी राष्ट्र के लिए घातक है, मैरिटोरियस स्टुडेंट्स के आगे बढ़ने में बाधक है, पैसे वालों के मार्ग को प्रशस्त करती है, तो सरकार उसको खत्म करने के लिए क्यों आर्डिनेंस नहीं निकालती है ? मन्त्री महोदया कहती हैं कि वह एक काम्प्रिहैंसिवल बिल ला रही है। वह आर्डिनेंस निकाल दें और बिल का समय निर्धारित कर दें। जब बिल आ जाएगा, तो आर्डिनेंस खत्म हो जायगा।

क्या शिक्षा मंत्री इस बात को प्रधानमंत्री के नालेज में लाएंगी कि उनके निर्देश की उन्हीं के दल द्वारा शासित तीन राज्यों में अवहेलना हो रही है और क्या वहां के मुख्य मंत्रियों को दंडित किया जाएगा ? क्या मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्रियों से रिपोर्ट मंगवाई है ; यदि हां, तो मुख्य मंत्री क्या तर्क देते हैं ? मुख्य मंत्री कहते हैं कि उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं और कानून बना दिया है—जैसा कि बिहार के मुख्य मंत्री कहते हैं—, लेकिन कानून का उल्लंघन और अवहेलना उन्हीं मुख्य मंत्री के द्वारा होती है।

यह सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। इक्वैलिटी, समानता के सिद्धान्त का हनन करने वाला यह सबसे घातक हथियार है। यह पैसे वाले मुट्ठी भर लोगों के भविष्य को बनाने, उनके आगे बढ़ने का दरवाजा है, जोकि बाकी करोड़ों लोगों के लिए बन्द है। उन लोगों का भविष्य अंधकारमय है।

मैं चाहूंगा कि भारत के शिक्षा मंत्री को पुराने बने-बनाए जवाब को छोड़कर अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और सदन को आश्वस्त करना चाहिए, जिससे आज के बाद इस सदन में दोबारा यह प्रश्न पूछने का मौका न मिले कि क्या सरकार कैपिटेशन फ़ीस को बन्द करेगी या नहीं।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): मैं समझती हूँ कि मैं हिन्दी में बोलूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी माननीय सदस्य ने कुछ बातें कही हैं और यह भी कहा है कि मैं अपना विवेक इस्तेमाल करू तो मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने मुझे इजाजत दे दी है कि मैं अपना विवेक इस्तेमात करूं। इन्होंने जो यह कहा कि जो हम से पूछा जायगा तो हम खाली इंजीनियरिंग कालेज के बारे में जिक्र करेंगे और टैकनिकल कालेज के बारे में जिक्र करेंगे, मैडिकल कालेजिज के बारे में हम इन को कोई इत्तिला नहीं दे सकेंगे, तो यह तो बिल्कुल सही है कि ये दोनों अलग-अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग-अलग इनका काम है और मैं समझती हूँ कि मैं अपना विवेक जब इस्तेमाल करूंगी तो मुझे कहना पड़ेगा कि मेडिकल कालेजिज का जिक्र हैल्थ मिनिस्ट्री में होना चाहिए।

अब इन्होंने यह भी कहा है कि तीन स्टेट्स में यह चल रहा है। आप ने सब पढ़ लिया है कि राज्य सभा में किस तरीके के इस पर बहस हुई थी और किस तरीके

से हम ने सारे स्टेट्स को लिखा। सारे देश में यह कैपिटेशन फी नहीं होती केवल तीन स्टेट्स के अलावा जिस के बारे में इन को भी पता है, वह स्टेट्स हैं—आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और इन के बिहार में भी यह होता है। इन को जब हम ने लिखा कि यह जो कैपिटेशन फी है हमारी केन्द्रीय सरकार इस प्रथा की सख्त निन्दा करती है और हम ने सब राज्यों को इस बारे में लिखा था, सब का जबाब आया है, इन तीन के भी जवाब आए हैं जो मैं बताना चाहती हूं।''... (व्यवधान) मैं बिहार के बारे में ज्यादा खबर आप को दूंगी क्यों कि माननीय सदस्य भी मेरे ख्याल से बिहार ही से शायद आते हैं। हम ने जब इन को लिखा तो हमें जो इत्तिला मिली वह यह है कि वहां दस इस्टीच्यूशंस हैं जो चार्ज किया करते थे लेकिन जब से हम ने उन को लिखा हैं, आप को जान कर खुशी होगी कि हमें इत्तिला मिली है कि ये जो दस इन्स्टीच्यूशंस हैं इन को कहा गया है इजाजत नहीं दी जायगी और अभी तक नहीं दी गई है कि ये नये स्टूडेन्ट्स को इस सेशन के लिए दाखिल करें। तो थोड़ा सा असर हुआ है। चाहे आप की ही स्टेट बिहार की हो, लेकिन असर हुआ है।...(व्यवधान)...

श्री राम स्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, बिहार सरकार ने तो आर्डिनेंस निकाल कर ऐक्ट भी वहां पर बनाया कि इस तरह से जो प्राइवेट टेकनिकल कालेजेज़ खोलते हैं उन के ऊपर हम केस करेंगे, उन को हम जेल भेजेंगे, लेकिन उस के मातहत अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और वहां कालेज खुलते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गया में एक मगध इन्जीनियरिंग कालेज खुला है जिस में 70 लाख रुपये कैपिटेशन फीस के नाम पर लिया गया है।

श्रीमती शीला कौल : अगर मुझे बात करने का मौका देंगे तो मैं बता दूंगी। सारी जानकारी मेरे पास है।

MR. CHAIRMAN : The Minister has got the information now from you. She will deal with it.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Like charity, clarity begins at home.

श्रीमती शीला कौल : मैं आप को आधे घण्टे वाली जानकारी दे रही हूं और आप को शायद दस दिन हो गए होंगे।

मुझे यह भी बताने में खुशी है कि जो यहां से डायरेक्शंस गए थे उन पर तीन इंस्टीच्यूट वहां बन्द कर दिए गए हैं। उनके नाम हैं—कौल फील्ड टेकनिकल इंस्टीच्यूट, संजय गांधी टेकनिकल इंस्टीच्यूट और संजय गांधी इंस्टीच्यूट आफ नवादा। ये तीन बन्द कर दिए गए हैं।

यह जो कहा गया है कि वहां के जो इस्टीच्यूट वहां के चीफ मिनिस्टर के नाम पर हैं वह भी जानकारी ली गई है, वह भी मैं आप के लिए बताना चाहती हूं कि जिन मिनिस्टर्स के नाम पर या चीफ मिनिस्टर के नाम पर जो इस्टीच्यूटस खोले गए हैं, मुझे यह इत्तिला मिली हैं कि उन से कोई इजाजत नहीं ली गई है।...(व्यवधान)... बड़े लोगों के नाम जो हैं वह आम तौर पर एक्सप्लायट किए जाते हैं। (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Mr. Paswan, let her conclude.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : No. no. Your name is not there.

SHRI RAMAVTAR SHASTRI (Patna) : Mr. Chairman, you have allowed one Hon. Member.

MR. CHAIRMAN : I have not allowed. The Hon. Minister had yielded.

(Interruptions)

SHRIMATI SHEILA KAUL : Mr. Chairman, if I am interrupted like this, I will not be able to concentrate on the points.

MR. CHAIRMAN : It is a very serious matter. She is replying. Please don't interrupt.

SARIMATI SHEILA KAUL : I have all the required information. I only want your permission to be able to explain myself.

MR. CHAIRMAN : No interruption please.

श्रीमती शीला कौल : मैं यह भी बताना चाहती हूं कि आजकल जो खोले हुए थे, पिछले वक्त में भी और अब भी, किसी यूनिवर्सिटी से वह कालेज एफिलिएटेड नहीं है, मैं बिहार की बात कर रही हूं। एक मां के नाते मैं बताना चाहती हूं कि वे मां-बाप जो अपने बच्चों को ऐसे कालेजेज में दाखिल कर रहे हैं, वे अपने बच्चों को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई रिकग्निशन ही नहीं है। इसलिए जो माननीय सदस्य वहां से आते हैं वे अखबारों के माध्यम से उनको बतायें कि उन्हें अपने बच्चों को वहां पर दाखिल नहीं करना चाहिए। इतनी मोटी रकम देकर वे वहां पर अपने बच्चे क्यों दाखिल करते हैं ? (व्यवधान) बिहार गवर्नमेंट ने जो आर्डिनैन्स प्रामुलगेट किया, उसके सम्बन्ध में मालूम हुआ है कि बिहार असैम्बली में बिल लाया जा रहा है। आर्डिनैन्स को विदड्रा करके बिल पास करने के बाद उसको पूरा किया जाएगा। यहां के लिए जो पासवान साहब कह रहे थे कि यहां पर क्यों नहीं किया जा रहा है, यहां भी आर्डिनैन्स लाया जाए, तो उनको पता होगा कि जब पार्लियामेंट चल रही होती है तब आर्डिनैन्स नहीं लाया जा सकता। इसलिए उसको लाना मुमकिन नहीं है और न कायदे की ही बात है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और गम्भीरता से सोच रहे हैं, आप से दुगनी परेशानी हम को है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगली बार इस को पेश कर सकें और इस में आप की भी मदद होगी तो बहुत अच्छा होगा।

आप का और क्या प्वाइन्ट था ?

श्री रामविलास पासवान : जो आल इण्डिया मैडीकल इन्स्टीच्यूट्स हैं...

श्रीमती शीला कौल : वे तो हैल्थ मिनिस्ट्री के अण्डर में आते हैं।

श्री रामविलास पासवान : ये जो आल इण्डिया टैक्नीकल इंस्टीच्यूट्स हैं क्या उन की कोई जवाबदेही आप पर नहीं है ?

श्रीमती शीला कौल : मैं आप को बताना चाहती हूं कि ऐस्टीमेट्स कमेटी और आल इण्डिया टैक्नीकल एजूकेशन कान्सिल दोनों ने कहा है कि अथारिटी मिलनी चाहिये जिस से कि ऐसे इन्स्टीट्यूट्स न खोले जा सकें और जो स्टैण्डर्ड गिर जाता है उस को भी रोका जा सके। कान्सिल ने उन को खोलने की कोई इजाजत नहीं दी है। लोकल लेविल पर ये खोले जाते हैं जिनकी सूचना यहां तक नहीं पहुँच पाती। जब हम को मालूम हुआ, तो हम स्टेप्स ले रहे हैं। इस दिशा में आल इन्डिया काउंसिल ने सिफारिश की है कि इस को स्टाटूयटरी पावर्स दी जाये ताकि ये ऐसी बातों को रोक सकें।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : सभापति जी, मंत्री महोदया से सब से

पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि बिहार की सरकार ने जो खबर दी है वह बिल्कुल गलत है। अगर इस पर वे अपने को आधारित करेंगी तो गलतबयानी का शिकार होंगी। इस लिये इस की फिर से जांच की जानी चाहिये।

श्री रामविलास जी ने जो सवाल उठाया है वह सवाल, जब श्री नूरुलहसन साहब यहां पर शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी 1976 में उठा था। उन्होंने भी आश्वासन दिया था, आप ने राज्य सभा में आश्वासन दिया और प्रधान मंत्री जी का भी ऐलान हुआ, आप ने पत्र लिखा, लेकिन उस के बावजूद इन आश्वासनों का क्या ठोस नतीजा निकला? क्या इस साल से इन कालिजों में कैपिटेशन फीस ली जा रही है या नहीं ली जा रही है? मैं मंत्री महोदया से यह भी स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में कोई ठोस काम्प्रीहैन्सिव बिल जिसके चलते कैपिटेशन फीस न ली जा सके, आप किस सत्र में लाने जा रही हैं। आप यह भी बताने की कृपा करें कि शिक्षा का एक मिनिमम स्टैण्डर्ड ऐसे कालिजों में मेन्टेन हो रहा है या नहीं? जहां तक हमें जानकारी है, सरकार की शिक्षा नीति साफ नहीं है, क्योंकि बयान दूसरा दिया जाता है, काम दूसरा होता है। इस संबंध में आपकी क्या स्पष्ट नीति है और स्पष्ट नीति को लागू करने के लिए आप कौन-कौन से कदम उठाने जा रहे हैं?

बिहार में ऐसी संस्थायें हैं, मैं टैक्नीकल की बात कर रहा हूं, मैडिकल की बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी कि चर्चा श्री राम विलास पासवान जी ने भी की है, बड़े-बड़े महानुभावों के नाम उस से जुड़े हुए हैं, मंत्रियों के नाम जुड़े हुए हैं—मैं यह जानना चाहता हूं कि उन संस्थाओं का भविष्य क्या होगा?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक प्रशंसनीय काम किया है। कानून पास करके उसने फीस की एक सीलिंग तय कर दी है, क्या भारत सरकार उस कानून का अनुसरण करने जा रही है? यहां भी बहुत से पब्लिक स्कूल हैं, जिनमें कि केवल सुविधा प्राप्त लड़कों को दाखिला मिलता है, गरीब लोगों को नहीं मिलता है। क्या आप इस तरह की दोहरी नीति को भी बदलेंगी या नहीं बदलेंगी?

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): Mr. Chairman, while fully endorsing the views expressed by my colleague, Mr. Ram Vilas Paswan, I would like to ask three or four questions to the Hon. Minister for Education.

In answer to the present question, I find that the Central Government is trying to shield these three States of Karnataka, Andhra Pradesh and Bihar.

In the reply which has been given it is stated :

> "However, the State Governments of Karnataka, Andhra Pradesh and Bihar where such institutions reportedly exist have not yet been able to stop this practice due to certain legal and other difficulties."

I would like to know what are the difficulties, legal or otherwise, which these three State Governments have experienced because of which they are not in a position to remove this capitation fee especially when the Hon. Minister for Education and the Hon. Prime Minister have expressed repeatedly on more than one occasion that "we would like to stop this commercialisation of

[Shri Bapusaheb Parulekar]

education" and especially when after this declaration, in the State of Karnataka, two more engineering colleges at Belgaum have been opened. This is my question No. 1.

My question No. 2 is a question which was asked by Mr. Ram Vilas Paswan as to what time to the Government would take to bring this legislation. I have my own doubts whether the Government is really serious in bringing this legislation because in the answer given to the plain question, the Hon. Minister has stated that Government proposes to introduce a Bill to create a statutory mechanism which would, inter alia, prohibit the charging of capitation fees. But it seems from this answer that no direct legislation is going to be introduced in this House barring this recovery of the capitation fees.

The third question which I would like to ask is that if the Government is going to take sufficient time to bring in this legislation, what steps Government proposes to take against those institutions who are still indulging in recovering this capitation fee and I would like to know as to whether the Government would propose to discontinue the grant through UGC to these colleges, if not, why and if they still persist whether the UGC would not hesitate to disaffiliate these colleges. If these two stringent steps are taken, I feel that there will be some effect on the States which still indulge in giving permission to those institutions which are recovering capitation fees.

18.00 hrs.

Side by side, I would like to mention one more thing, and that is, some steps will have to be taken and attention will have to be focussed on this problem : in this year, 1982, as reports go, in Andhra Pradesh, 28,000 students have taken the Entrance Examination for admission to Engineering Colleges where the seats available are for 1,500. It seems that about 26,500 students will not be admitted in the Engineering Colleges. This indicates a big gap between demand and supply. What steps do Government propose to take in this regard ? Are we in a position to increase the number of seats and increase the number of Colleges ? I am aware that you may have financial difficulties. In the meantime, some holding operation can be made where donations could be asked for and for a limited period of, say, three to six months, seats can be given to those who give donations.

These are the few questions that I would like the Hon. Minister to reply to.

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) : We know that engineers and doctors are the armies of the nation who fight against illness and who fight against incompetence on the part of the nation towards development. I want to know whether the Government of India agrees that levying of capitation fee goes against the spirit of our Constitution in which it has been laid down that Government will direct its efforts to remove all sorts of backwardness and illiteracy, for example, article 45. I want to ask whether Government thinks that the very practice of levying capitation fee goes against the very spirit of the Constitution.

My second question is whether it is not a fact that, by levying capitation fee, merit has been surrendered or sacrificed to financial considerations. We know that some students who have been admitted to some Medical Colleges and Engineering Colleges have come from other States because they could not get admission in their respective States and that is because in southern

States there are some who do not give seats to high caste Hindus, that is, the Brahmins, in their Engineering and Medical Colleges. I want to know whether Government will ask the State Governments to increase their seat capacity so that students coming from other States may be accommodated in those institutions.

My third question is whether the degrees of those students who get themselves admitted in Engineering and Medical Colleges by sacrificing their merit to financial considerations would be de-recognised because they are a liability to the nation.

I request the Hon Minister to reply to all these questions.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, यह 22 जुलाई को जो प्रश्न किया गया था, माननीय सदस्य श्री हरिनाथ मिश्र का यह प्रश्न था, उसी प्रश्न के सम्बन्ध में यह आधे घण्टे की चर्चा शुरू हुई है। इस में तीन राज्यों का जिक्र जरूर किया गया है आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार लेकिन अखबारों से ऐसा पता चलता है कि कैपीटेशन फी तमिलनाडु में भी है और वहां तो उसको सीट बेचने की संज्ञा दी गई है। इस तरह के जो कालेज हैं चाहे वे मैडीकल कालेज हों या इंजीनियरिंग कालेज हों, वहां पर ऐसा होता है और इस तरह से और राज्य भी इसमें आ जाते हैं। इस से यह पता चलता है और अखबारों को पढ़ने से भी यह पता चलता है और खुद इनके जवाब से भी यह पता चलता है कि जो छात्र दूसरे राज्य से उस राज्य में जाते हैं, उनसे ज्यादा कैपीटेशन फी वसूली जाती है और वहां के छात्रों से थोड़ी कम ली जाती है और कम से कम 5 हजार रुपये है और दो-तीन लाख रुपये तक यह वैरी करता है। इतनी कैपीटेशन फी ली जा रही है और बिहार की बात तो मुझे मालूम है कि एक-एक सैशन में 20-20 लाख रुपये की वसूली की गई है। तो इतनी भयावह स्थिति है और सरकार यह कहती है कि शिक्षा पाने का अवसर सबको समान है। कहने के लिए तो समान है लेकिन कैपीटेशन फी बतला रही है कि सब को पढ़ने के लिए समान अवसर नहीं हैं। पैसे वालों को ये अवसर प्राप्त हैं लेकिन जो पैसा नहीं दे पाते हैं, उनको प्राप्त नहीं हैं।

इन बातों की रोशनी में, पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कैपीटेशन फी की वसूली शिक्षा के समान अवसर पर कुठाराघात नहीं है और अगर ऐसी बात है, तो इस तरह की प्रथा को बन्द करने में अनावश्यक विलम्ब के कारण क्या हैं ?

दूसरी बात यह है कि सरकार ने भी कबूल किया है, खण्डन तो नहीं किया है पूरा-पूरी, कि बिहार में और दूसरी जगहों पर शिक्षा संस्थाओं में जो मंत्री लोग संरक्षक हैं, उसके ओहदेदार हैं, अध्यक्ष हैं या पेटरन हैं, उनके बारे में वे स्पष्ट रूप से नहीं बता सकी हैं कि सब लोगों ने सम्बन्ध तोड़ लिए हैं। बिहार में अभी भी बहुत सारे मंत्रियों का सम्बन्ध इन से है, जिनकी चर्चा हमारे भाई राम विलास जी ने की है।...(**व्यवधान**)

रामाश्रय प्रसाद सिंह हैं।

श्री राम विलास पासवान : वे मंत्री हैं क्या ?

श्री रामावतार शास्त्री : जी, हां। वे बिहार में खाद्य मंत्री हैं।...(**व्यवधान**)....।

श्री राम विलास पासवान : ये वहीं से आते हैं, इसलिए बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप राम : 70 लाख रुपया वसूल भी किया है।

श्री रामावतार शास्त्री : ये उनके नाम के लिए परेशान थे इतनी देर से।

श्री राम विलास पासवान : ये दोनों माननीय सदस्य वहीं से आते हैं।.... **(व्यवधान)**... 70 लाख रुपये वसूले हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह पूछ रहा था कि क्या आपको इसकी जानकारी है और जानकारी नहीं है तो क्या इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद आप अपने मंत्रियों को सरकार की तरफ से आदेश देंगी कि वे इस तरह के संगठनों से अपना पिंड छुड़ायें और अपने दामन को पाक-साफ कर लें और नहीं तो, इस तरह से कहते रहने से कुछ काम होने वाला नहीं है।

तीसरी बात मैं यह जानना चाहूँगा कि शिक्षा का जो यह वाणिज्यकरण हो गया है, कमर्शियेलाइजेशन हो गया है, इस को बन्द करने के बारे में जो आप बिल लायेंगी, उसमें इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा होने वाली है या नहीं कि यह कमर्शियेलाइजेशन न हो। शिक्षा का उद्देश्य तो दूसरा है लेकिन वह उद्देश्य समाप्त हो गया है और अब एकमात्र उद्देश्य धन कमाने का हो गया है। केवल मंत्री ही नहीं, बिहार में तो कई लीडरों ने दर्जनों कालेज खोल कर कैपीटेशन फीस से वे उनको चला रहे हैं। इसी अर्थ में मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा जगत में क्या आप इस कमर्शियेलाइजेशन को बन्द करने के बारे में कुछ सोच रही हैं या नहीं ?

श्रीमती शीला कौल : केन्द्रीय गवर्नमेंट कैपिटेशन फीस चार्ज करने की मुखालफत करती है, वह उसके खिलाफ है। आल इण्डिया काउंसिल आफ टैक्निकल एजूकेशन और एस्टीमेट्स कमेटी ने सिफारिश की थी कि इसको किसी न किसी तरीके से हटाया जाए। अगर आल इंडिया काउंसिल आफ टैक्निकल एजूकेशन को स्टेच्युटरी पावर्स मिल जाए तो इसको हटाया जा सकता है। तभी इनके स्टेण्डर्ड को बनाये रखा जा सकता है और जो ये फीस चार्ज करते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इस काउंसिल को स्टेच्युटरी पावर्स देने पर ही इस समस्या को दूर किया जा सकता है।

एक हमारे माननीय सदस्य ने फरमाया था कि इस में लीगल डिफिकल्टीज क्या हैं? अगर आप ने सवाल के जवाब को देखा होगा तो पाया होगा कि कर्नाटक सरकार ने यह कहा है कि हम इसको फेज्ड मेनर्स में हटा देंगे। उन्होंने यह कहा था कि हम फीस को धीरे-धीरे बढ़ाते रहेंगे और कैपिटेशन फीस को कम करते जाएंगे। इस पर मैनेजमेंट कोर्ट में मूव कर गया और वहां से स्टे आर्डर ले आया। इसी तरीके से बिहार में भी हुआ लेकिन बिहार सरकार ने जोश दिखाया है और वह बिल लायेंगे, यह अच्छी बात है। इस से वहां ठीक हो जाएगा।

एक माननीय सदस्य ने यह पूछा कि यू० जी० सी० इनकी ग्रांट क्यों नहीं बन्द कर देती। मैं आपको बताना चाहती हूं कि इन कालिजिज की कोई रिकगनीशन नहीं है और ये कालिजिज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलियेटिड भी नहीं हैं। इसलिए इन को ग्रांट का तो सवाल ही नहीं उठता।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि क्या सरकार इस बात से सहमत है कि इस से कांस्टीच्युशन की स्प्रिट वायोलेट होती है, कैपिटेशन फीस लेने से ? बिल्कुल होती है। इसीलिए हम बराबर कह रहे हैं कि हम इस के बिल्कुल खिलाफ हैं। जो लोग फीस नहीं दे सकते हैं और काबिल हैं उनका कितना बड़ा नुकसान होता होगा, इसका हम अन्दाज लगा सकते हैं। जो लोग फीस दे सकते हैं लेकिन काबिल नहीं हैं, वे इस से फायदा उठा जाते हैं।

जहां तक इन इंजीनियर्स की एम्पलायमेंट की बात है कि ये एम्पलाएमेंट सिचुएशन को

खराब कर देते हैं, तो गवर्नमेंट यह नहीं चाहती कि किसी को नौकरी न मिले, कोई लड़का किसी इंस्टीच्युशन से पढ़ कर निकले और वह खाली रहे। हां इन कालिजिज में, आध्र में, कर्नाटक में और बिहार में जो एजुकेशन दी जाती है इस प्रकार के कालिजिज में, वह हमारे अन्दाज से सब स्टेण्डर्ड है और वे हमारे टेक्निकल इंस्टीच्युशंस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यह पूछा गया कि तमिलनाडु में भी कैपिटेशन फीस चार्ज की जा रही है, मुझे अफसोस है कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या मंत्रियों को आप इन संस्थाओं से इस्तीफा देने के आदेश देंगी ?

श्रीमती शीला कौल: बिहार की मेरे पास जो कालिजिज की लिस्ट है वह यह है :

1. Bihar College of Pharmacy, Patna;
2. Sir Syed Institute of Pharmacy, Patna;
3. Magadh Engineering College, Gaya;
4. L. P. Sahi Institute of Social and Vocational Science, Muzaffarpur;
5. Ramlakhan Singh College of Pharmacy, Patna;
6. Vaishali Institute of Technology, Muzaffarpur.
7. जगन्नाथ मिश्रा इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, दरभंगा।
8. इंडियन कालेज आफ इंजीनियरिंग, मोतीहारी,
9. संजय गांधी पालीटेक्नीक, मधुबनी,

अभी-अभी जानकारी प्राप्त हुई है।

श्री राम विलास पासवान : संजय गांधी के नाम से दो थे ?

श्रीमती शीला कौल : एक तो खत्म हो गया है।

श्री राम विलास पासवान : उसको मिला कर तो तीन थे।

श्रीमती शीला कौल : मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार बतला रही हूं। वैसे प्राइवेट तो बहुत सारे हैं। कोई भी अपने घर में दो कमरे में स्कूल खोल ले तो वह स्कूल थोड़े ही कहलाएगा।

श्री रामावतार शास्त्री : मंत्रियों के नाम से हैं।

श्री राम स्वरूप राम : पैसा तो वहां भी लिया जा रहा है। **(व्यवधान)**

श्रीमती शीला कौल : 10 कालेजों के बारे में मुझे जानकारी मिली है। दूसरी बात लोगों के नाम के बारे में है कि उनकी इजाजत ली गई है या नहीं। जगन्नाथ मिश्रा इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है कि इस बारे में उनकी कोई इजाजत नहीं ली गई है कि उनका नाम इस्तेमाल किया जाए।

श्री मधु दण्डवते : यह "इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान" जैसा है।

श्री रामावतार शास्त्री : ये लोग कह दें कि हम नहीं हैं।

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet tomorrow at 11 A. M.

18.16 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, August 7, 1982/Sravana 16, 1904 (Saka).

———